न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 12/20
(जीसीएमएस संख्या 2020/00058)

निर्णय दिनांकः– 15-02-2024

1. मदनलाल पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी ग्राम भामटसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. फूसीदेवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट
2. भंवरलाल पुत्र चेतनराम जाति जाट
3. पदमाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट
4. भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह
5. शेरसिंह पुत्र बाधसिंह
6. प्रतापसिंह पुत्र बाधसिंह
7. पदमसिंह पुत्र बाधसिंह
8. लिछमा पत्नि अमेदाराम
9. रेवन्ति पत्नि गुमानाराम
10. मोहनराम पुत्र गुमानाराम
11. खमाराम पुत्र गुमानाराम
12. पुनमराम पुत्र गुमानाराम
13. निम्बाराम पुत्र गुमानाराम
14. सोहनराम पुत्र गुमानाराम
15. कुन्नी देवी पत्नि गुमानाराम
16. भागीरथ पुत्र भंवरलाल
17. कमला पुत्री भंवरलाल
18. शंकरलाल पुत्र भंवरलाल
19. चुन्नीलाल पुत्र भंवरलाल
20. राजू पुत्र भंवरलाल
21. रामचन्द्र पुत्र भताराम
22. प्रमाराम पुत्र भताराम
23. परमाराम पुत्र धन्नाराम
24. पन्नाराम पुत्र धन्नाराम
25. हेतराम पुत्र धन्नाराम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

26. शांतिदेवी पत्नि स्व. छोगाराम
27. मंगी पुत्री स्व. छोगाराम
28. श्रवणराम पुत्र स्व. छोगाराम
29. कान्ता पुत्री स्व. छोगाराम
30. मुन्नी पुत्री स्व. छोगाराम
31. श्यामलाल पुत्र स्व. छोगाराम,
32. महावीर पुत्र स्व. छोगाराम
33. मेघाराम पुत्र छताराम
34. सोनाराम पुत्र मूलाराम
35. सुगनी पत्नि स्व. मघाराम
36. अर्जुनराम पुत्र स्व. मघाराम
37. अणदाराम पुत्र स्व. मघाराम
38. रामलाल पुत्र स्व. मघाराम
39. आसी पत्नि स्व. मांगीलाल
40. ओमप्रकाश पुत्र स्व. मांगीलाल
41. श्रवणराम पुत्र स्व. मांगीलाल
42. पुष्पा पुत्री स्व. मांगीलाल
43. पतराम पुत्र लालूराम ?
44. मनफुलराम पुत्र लालूराम
45. हरिराम पुत्र लालूराम
46. एसबीआई बैंक शाखा भामटसर
47. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 13–12–2019

उपस्थितः–

1. श्री ओम चाण्डक, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 13–12–2019 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने/स्वेच्छाधारी व विधि विरूद्व तरीके से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपील ज्ञापन में वर्णित ग्राम भामटसर की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने के आधार पर अपीलांट् की जोत ग्राम भामटसर के खेत खसरा नम्बर 390 रकबा 2.29 हेक्टर भूमि में से आवागमन की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट् की खातेदारी भूमि में से 172 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई अर्थात 860 मीटर अर्थात 0.0860 हेक्टर आवागमन हेतु गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत जाते हुए अपीलांट के विरूद्व पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार मामला पूर्व में जारी रास्ते को बन्द किये जाने से संबंधित है तथा उक्त तथ्य की ताईद पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत मामलें में पूर्व में चालू रास्ते को बन्द किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार संबंधित न्यायालय को नहीं होकर तहसीलदार, नोखा के क्षेत्राधिकार का मामला था। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र पर नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार नहीं की जाकर अन्य हल्का के अर्थात रासीसर के भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में स्पष्ट रूप से नियम 69 की अवहेलना की गई है। क्योंकि उक्त नियमों में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि संबंधित तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा ही मौका रिपोर्ट तैयार की जानी होती है। प्रकरण में चूंकि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा स्वामेव यह अभिलिखित किया गया है कि पूर्व में स्थापित रास्ते को सकरा कर बन्द कर दिया गया है। इस संबंध में विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी काश्तकार अपनी सुविधा के लिये नये रास्ते की मांग नहीं कर सकता। नये रास्ते की मांग तभी की जा सकती है, जब रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने कारण धारा 251 ए के प्रावधान प्रस्तुत मामलें पर लागू नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा ाा में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2022 पेज 1210, आरआरडी 1988 पेज 143 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स की भूमि तहसील नोखा के ग्राम भामटसर में खेत खसरा नम्बर 392, 393, 1246/379, 379/2, 1245/379, 379/3, 1193/380, 1045/373 वा 1044/373, 1046/374, 1047/374, 1107/329, 1108/329, 1109/320, 330, 331, 348, 347, 346 खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 390 में से रास्ते की मांग की गई।

उन्होनें आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आये तथा उनके द्वारा विधिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट् का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् रिपोर्ट संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार/प्रेषित नहीं की गई है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स कथन किया गया वादग्रस्त भूमि के बाबत् दिनांक 26–08–2019 को प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सुरजाराम चौधरी भू–अभिलेख निरीक्षण तहसील नोखा एवं रेवन्तराम पटवारी हल्का रासीसर के हस्ताक्षर अंकित है। जिससे साबित है कि उक्त मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार करते हुए नियम 69 की पालना पूर्ण रूप से की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की उक्त आपत्ति का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर रास्ता कायम करने का प्रश्न है, चूंकि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स को अपनी जोत में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने व यह तथ्य साबित होने पर कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स को अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही उक्त रास्ता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2018–19 पेज 510 व आरआरटी 2019 पार्ट II पेज 1089 के न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् की खातेदारी भूमि ग्राम भामटसर के खेत खसरा नम्बर 390 रकबा 2.29 हेक्टर भूमि में से 172X5 = 860 मीटर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मांग किया रास्ता पूर्व में चालू होने व उक्त रास्ते को बन्द किये जाने से संबंधित होने पर ऐसे मामलों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर संबंधित तहसीलादार को प्राप्त है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रास्ते के मामलों में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया तैयार किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के बाबत् संबंधित तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–08–2019 को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रेषित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि मौका देखने पर 1246/379 के पूर्वी सीमा पर खसरा नम्बर 390 स्थित है तथा 390 खसरा नम्बर के पूर्वी दिशा में एक कटानी रास्ता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दर्ज है। (खसरा नम्बर 386 गैर मुमकिन रास्ता) जहॉ मौके पर डामर सड़क बनी हुई है। खसरा नम्बर 1246/379 के यह रास्ता नजदीक भी है और सुगम भी है तथा पूर्व प्रस्तावित रास्ता 957/397 तथा 956/391 के खातेदार तथा 390 के खातेदार एक ही है। अतः खसरा नम्बर 390 से होता हुआ कटाणी रास्ते का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को उनकी जोत में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत मामलें में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट्स को आवगामन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रेस्पोडेन्ट्स को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 390 रकबा 2.29 हेक्टर भूमि में से 172X5 = 860 मीटर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है।

धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त करने व प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को उसकी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवागमन हेतु पूर्व में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नया रास्ता कायम किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा मौके पर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट्स को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 13–12–2019 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 15/2/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर